# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री मोहनलाल पिता फूलशंकर परमार **बनाम** श्री धना पिता लखमा डामोर वगैरह

पत्रावली संख्या–27 / 2020

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 212 रा.का.अधि.

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनायें जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक 11.06.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे की आराजी मौजा बोड़मली के खाता संख्या 86 के खसरा संख्या 4145/2363 कुल रकबा 15 बीघा भूमि में प्रार्थी काबिज हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि में विपक्षीगण का कोई हिस्सा हक नहीं है। विपक्षीगण, प्रार्थी की आराजी भूमि में जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने हेतु आये दिन झगड़ा फसाद करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जावे कि वादग्रस्त आराजी की भूमि में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिक्रमण स्वयं करें न ही अपने मित्र ऐजेन्ट, मजदुरों से करावें। वादग्रस्त आराजी का कोई भी हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करें न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पदित करें, जिससे राजस्व रिकार्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा न ही प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करें। ऐसे में ता फैसला मूल वाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 4145/2363 पर अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा कब्जा किया गया हो। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा, खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सीमलवाड़ा<br>सीमलवाड़ा | |

Scanned with OKEN Scanner